



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

"विद्युत भवन", नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

कारपोरेट आईडी नं०. U40101UR2004SGC028675, फोन: 0135-2642006, फैक्स: 0135-2643460

वेबसाइट: www.ptcul.org

नोटिस

- पिटकुल द्वारा माननीय के०वि०नि०आ०, नई दिल्ली के समक्ष 400 केवी उपसंस्थान श्रीनगर (परिसम्पति-I: 400/200 के०वी० 02x03x105 एम०वी०ए० परिवर्तक, 220/132 के०वी० 02x160 एम०वी०ए० परिवर्तक बे सहित एवं परिसम्पति-II: 1x80 एम०वी०ए०आर० रिएक्टर) (डीम्ड आई०एस०टी०एस०) यू०आई०टी०पी० स्किम के अन्तर्गत माननीय के०वि०नि०आ० के आदेश दिनांक 31.01.2013 द्वारा याचिका संख्या 133/एम०पी०/2012 में पारित आदेश के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-24 की अवधि के ट्रयुइंग-अप तथा वित्तीय वर्ष 2024-29 के पारेषण टैरिफ निर्धारण के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 79 (1) (डी), के०वि०नि०आ० (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2023 के विनियमन-15(1)(a) एवं विनियमन 23, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2024 के तहत एक याचिका दायर की गयी है।

- पारेषण प्रणाली के लाभार्थी उपक्रम क्रमशः- पीजीसीआईएल, पीएसपीसीएल, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, एनडीएमसी, जोधपुर वीवीएनएल, जयपुर वीवीएनएल, उत्तर मध्य रेलवे, सीपीडीएल, अजमेर वीवीएनएल, यूपीपीसीएल, एचपीएसईबीएल, एचपीपीसी, जेकेपीसीएल, टीपीडीडीएल, यूपीसीएल है।

- पारेषण प्रणाली की क्षमता:-

उपसंस्थान का नाम	वोल्टेज लेवल	परिवर्तकों, रिएक्टर आदि की संख्या	बे की संख्या			
			765 के०वी०	400 के०वी०	220 के०वी०	132 के०वी० एवं नीचे
400 के०वी० उपसंस्थान श्रीनगर	400 के०वी०	400/200 के०वी० 02x03x105 एम०वी०ए० परिवर्तक, 220/132 के०वी० 02x160 एम०वी०ए० 01X80 एम०वी०ए०आर० रिएक्टर	—	11	10	—

- परियोजना की अनुमोदित पूंजी लागत (रु लाख में):- मूल (डीपीआर लागत) : 17208.00
अंतिम (संशोधित) : 23089.44

- प्राधिकरण जिसने पूंजी लागत को मंजूरी दी है: निदेशक मंडल (पिटकुल)

- वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथि: परिसम्पति-I : 26.05.2012
परिसम्पति-II : 26.05.2012

- अनुमोदित वाणिज्यिक संचालन की तिथि: परिसम्पति-I :
ग्रुप ए- 31.07.2016
ग्रुप बी- 14.10.2016
ग्रुप सी- 03.08.2016
ग्रुप डी- 13.11.2020

परिसम्पति-II : 20.10.2018

संयुक्त परिसम्पति की प्रभावी वाणिज्यिक संचालन की तिथि: 19.10.2016

- वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर पूंजीगत लागत (लाख रुपये में):
परिसम्पति-I : 17982.75
परिसम्पति-II: 670.52

- वित्तीय वर्ष 2019-24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के ट्रयुइंग-अप का विवरण: -

पारेषण तंत्र: 400 के०वी० उपसंस्थान श्रीनगर		वर्षवार टैरिफ निर्धारण की मांग (रु० लाख में)				
पारेषण शुल्क (परिसम्पति-I 400/200 के०वी० 02x03x105 एम०वी०ए० परिवर्तक, 220/132 के०वी० 02x160 एम०वी०ए० परिवर्तक बे सहित एवं परिसम्पति-II: 1x80 एम०वी०ए०आर० रिएक्टर)	परिसम्पति I ग्रुप ए	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
	परिसम्पति I ग्रुप बी	1880.2136	1898.1876	1914.8549	1936.6098	1963.6479
	परिसम्पति I ग्रुप सी	114.9139	115.0877	115.1347	115.4194	115.9170
	परिसम्पति I ग्रुप डी	344.8128	347.3815	349.6663	352.7275	356.9030
	परिसम्पति II	0.0000	39.6532	105.7185	107.5929	109.9352
	परिसम्पति II	107.8350	108.8469	109.9003	111.1562	112.7912
कुल वार्षिक फिक्सड चार्ज ट्रयुइंग-अप के आधार पर		2447.7754	2509.1569	2595.2747	2623.5058	2659.1942

10. वित्तीय वर्ष 2024–29 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का विवरण: –

पारेषण तंत्र: 400 केवी0 उपसंस्थान श्रीनगर	वर्षवार टैरिफ निर्धारण की मांग (रु० लाख में)				
	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	वित्तीय वर्ष 2027–28	वित्तीय वर्ष 2028–29
पारेषण शुल्क संयुक्त परिसम्पति	2852.1286	2894.5801	2902.5520	2953.5599	3061.6554

11. टैरिफ के ट्रेडिंग–अप तथा निर्धारण के लिए दायर की गई याचिका की एक प्रति आवेदक की वेबसाइट www.ptcul.org पर पोस्ट की गई है।
12. याचिका में निहित टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों पर किसी व्यक्ति या लाभार्थियों को यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आयोग के ई–फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सुझाव या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं साथ ही उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को भी प्रेषित करें।

स्थान: – देहरादून

दिनांक: –

(इला चन्द्र)
मुख्य अभियन्ता (वा0एवंनिया0), पिटकुल